बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–63 / 2016 4116 / कृ0, पटना, दिनांक– 20/10/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**
से परामर्शित।

विषय : **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश–544.12800 लाख रू0 एवं राज्यांश–362.75200 लाख रू0 कुल 906.88000 लाख रुपये (नौ करोड़ छः लाख अठासी हजार रुपये) की लागत पर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश–544.12800 लाख रू0 एवं राज्यांश–362.75200 लाख रू0 कुल 906.88000 लाख रुपये (नौ करोड़ छः लाख अठासी हजार रुपये) की लागत पर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र संख्या 14–1 / 2015 Fert Use दिनांक 27 जुलाई 2017 द्वारा वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश मद में 808 लाख का Allocation प्राप्त है, साथ ही विगत वर्ष की अव्यवहृत 107.46 लाख की राशि को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र संख्या 14–3 / 2014 Fert Use दिनांक 31 मई 2017 के कंडिका–5 के आलोक में 01.04.2017 को अवशेष 107.46 लाख की राशि 2017–18 में व्यय हेतु पुर्नवैधिकृत कर दिया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 708.00 लाख रूपये की स्वीकृति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के विभिन्न 21 प्रयोगशाला के स्थापना / सुदृढ़ीकरण मद में कृषि विभाग के राज्यादेश–4397 दिनांक 18.10.2016 द्वारा दी गयी थी। किन्तु भारत सरकार से राशि विमुक्ति नहीं होने के कारण आवंटनादेश निर्गत नहीं हो सका। योजना कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से कोटिवार स्वीकृत वित्तीय सीमा एवं बजट उपबंध के अधीन आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। उपलब्ध पुर्नवैधिकृत राशि से योजना अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर मृदा उर्वरता मैप, तदुपरांत कृषि विश्वविद्यालय को राशि उपलब्ध कराई जायेगी। भारत सरकार से योजना आकार के अनुरूप राशि विमुक्ति होने पर अवशेष आवंटन निर्गत किया जायेगा।

4. बिहार राज्य को कर्णांकित किए गए राशि से दिनांक 05.06.2017 को राज्य स्तरीय SHM Executive Committee की बैठक में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार बिहार राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर के अंतर्गत आठ कृषि विज्ञान केन्द्रों अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, सुपौल, लखीसराय तथा कृषि महाविद्यालय डुमराँव, पूर्णियाँ, किशनगंज में नये मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के प्रयोगशाला समेत कृषि विज्ञान केन्द्र भागलपुर, बॉका, कटिहार, मुँगेर, नालंदा, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा एवं पटना को सुदृढ़ीकरण करने हेतु कुल 708.00 लाख रुपये, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला पटना

के सुदृढीकरण में 10.00 लाख, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सहरसा और मुजफ्फरपुर के लिए क्रमशः 75–75 लाख की लागत से नए प्रयोगशाला की स्थापना एवं 38.88 लाख रुपये से मृदा उर्वरता मैप के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

5. यह योजना चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण की जायेगी। योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होगे। भौतिक एवं वितीय लक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु कृषि निदेशक सक्षम होंगे।

6. राशि का ब्यौरा मदवार एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। भारत सरकार के निदेश के आलोक में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना अंतर्गत नए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 45.00 लाख रुपये प्रति प्रयोगशाला निर्धारित है। वही प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 30.00 लाख की वित्तीय सीमा के अंतर्गत प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध कराई जानी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से प्राप्त पत्रांक–209 दिनांक 25.05.2016 के आलोक में मार्गदर्शिका के अनुरुप अनुमान्य 708.00 लाख रुपये मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग निकासी कर नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायंगे, जिसका व्यय बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन करते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा किया जाएगा।

7. जिला एवं राज्य स्तर पर सभी पारामीटर पर मृदा उर्वरता मैप का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सभी जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक रसायन मिट्टी जाँच को अनुलग्नक–2 के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

8. सहरसा और मुजफ्फरपुर में नए गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना तथा पटना अवस्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण मद की राशि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

9. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना उदव्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढाया जा सकता है।

10. वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग सं०–01,उप शीर्ष 0207– राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401001050207, विषय शीर्ष–0207.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	2038.95	451.62624
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना माँग सं०–01, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्रकोड 01–2401007890238 विषय शीर्ष– 0238.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	393.05	87.06048
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01,उपशीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–01–2401007960258, विषय शीर्ष–0258.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	24.57	5.44128
कुल	**2456.57**	**544.12800**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक,माँग सं०–01, उप शीर्ष 0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401001050307, विषय शीर्ष–0307.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	1359.31	301.08416

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड 01–2401007890338; विषय शीर्ष–0338.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	262.03	58.04032
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01,उपशीर्ष 0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–01–2401007960358, विषय शीर्ष–0358.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–9142	16.37	3.62752
कुल :–	**1637.71**	**362.75200**
सकल योगः–	**4094.28**	**906.88000**

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–63/2016 के पृ0सं0–125/प. पर दिनांकः 28.08.2017 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. स्वीकृत्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–63/2016 के पृ0सं0– 42/टि0 पर दिनांकः 13.10.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.10.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–63/2016– 4116 /कृ0, पटना दिनांक– 20/10/ 2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पंदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–63/2016– 4116 /कृ0, पटना दिनांक– 20/10/ 2017

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, (आई0एन0एम0 डिवीजन) फर्टिलाइजर यूज सेल, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–63/2016– 4116 /कृ0, पटना दिनांक– 20/10/ 2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\SHM\Sanlekh SHM17-18 906.88 lakh stranght.docx

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–63 / 2016– 4116 / कृ0, पटना दिनांक-20/10/ 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0 / नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / संयुक्त निदेशक (रसायन), गुण नियंत्रण प्रयोगशाला / उप निदेशक (रसायन), गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर / सहरसा / उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र / आरा / पूर्णिया / मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\SHM\Sanlekh SHM17-18 906.88 lakh stranght.docx